अति महत्वपूर्ण

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 305 / FP/UK/ROAD/12951/2015 :दिनांक: देहरादूनः 27 जुलाई, 2017

सेवा में,

निदेशक/वन संरक्षक, (नाम से)
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः—चमोली के अन्तर्गत गौचर—सिदोली—धनपुर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु। FP/UK/ROAD/12951/2015

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा दी गयी बिन्दुओं पर सूचना माँगी गई थी। परन्तु आपके स्तर से उन इन बिन्दुओ के स्थान पर कुछ और ही सूचना आनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस समबन्ध में सूचित करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट II में सही सूचना अपलोड करे बिना ही प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है। जिसके क्रम में उक्त प्रकरण को इस कार्यालय द्वारा सूचना पूर्ण रूप से दिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार बार वापस लोटाया जा चुका है। परन्तु फिर भी न तो प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी एवं आपके द्वारा इस और ध्यान न देकर मात्र एक औपचारिक्ता निभाते हुए सूचना इस कार्यालय का अग्रेसारित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, आपको कई बार भारत सरकार द्वारा लगाई गई निम्नलिखित कमियों के निराकरण हेतु आनलाईन पत्र भेजा जा चुका है। परन्तु फिर भी आपके द्वारा आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही प्रस्ताव को पुनः मात्र औपचारिकता निभाते हुए इस कार्यालय को अग्रसारित किया गया है जो कि लापरवाही का सूचक है। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध न कराये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, तथा प्रकरणो को वापस लौटाया जा रहा है। कृपया भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए की भारत सरकार/इस कार्यालय द्वारा वान्छित बिन्दुओं की पूर्ण बिन्दुवार सूचना उपरोक्त उल्लिखित के अनुसार ही इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना आपके द्वारा किस पार्ट के किस कॉलम के किस स्थान में अपलोड की गई है, की स्पष्ट सूचना ऑनलाईन उपलब्ध कराते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। भारत सरकार द्वारा वान्छित सूचना पुनः संलग्न की जा रही है।

1. The village level committee (VLC) proceeding provided for only one village while as per village. The VLC for other two villages may upload along the FRA certificate in designated place in part I.

2. The data furnished in the district profile is appears to be incorrect as the total diverted land does not tally with the CA stipulation. The State Govt may review the information furnished and if required may clarify the difference.

3. The density appear to be incorrect in online part II and the NPV calculation is also not correct. The State Govt may review the same and provide correct density and NPV calculation in view of the tree felling involved.

4. Details of wildlife in online part II are not provided.

कार्यालय
वनसंरक्षक/निदेशक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिज़र्व गोपेश्वर
पंजी सं० 581
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 28/07/2017

P.T.O.

5. As per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees 734 trees are below dai 0-10cm therefore the tree proposed to be felled are 230 but the entry of 233 trees are made in online part II. which may be corrected accordingly.

6. As per DSS analysis, out the total area of 4.46ha proposed for CA, 2ha is MDF. State Govt may replace this 2ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map. SOI toposheet map and KML file of the complete 4.46ha CA area again after making above change.

7. The area 0.130ha is marked for muck dumping in the civil land which is not clear that is it included in the area proposed for diversion if it area marked for muck dumping attracts FCA. 1980 it should be a part of area proposed for diversion. The State Govt may revise the proposal accordingly, and all necessary documents may be corrected accordingly in online part I and part II the State Govt may proposed the muck dumping in private land with provided NOCs of land owners to this office.

भवदीय

(विनीत कुमार पांगती)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– 305 / FP/UK/ROAD/20224/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

भवदीय

(विनीत कुमार पांगती)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

पत्रांक 425 / 12-1 दि. 28/07/2017
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को प्रेषित। उक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करते हुए प्रकरण में वांछित कार्यवाही करते हुए पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

प्रशासनिक अधिकारी
नन्दादेवी बायोस्फियर रिज़र्व
गोपेश्वर